(8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2016 (151/2020) ::

उनवान सत्यनारायण बनाम भूरा

1. सत्यनारायण पुत्र सुवा जाति जाट उम्र 50 साल निवासी ग्राम रामपुरा, अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। —प्रार्थी

बनाम

1. भूरा पुत्र श्रवण जाति जाट उम्र बालिग निवासी ग्राम कालातालाब रामपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 17.06.2022

प्रार्थी की और से वकील श्री परमानन्द शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, बाद तामिली प्रतिवादी संख्या 01 ओर से वकील श्री करतार सिंह उप. हुये। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे व काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम केबानिया,पटवार हल्का केबानिया, भू.अ.नि. लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 64 पुराना 61 खसरा संख्या 143/3 रकबा 08 बीघा स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई जिला अजमेर में स्थित है भूमि जिसके खसरा संख्या 1612/1 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि के पूर्व दिशा में रास्ता सडक है जिसके खसरा संख्या 1613 है जिसका राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में गै0मु0 सडक के रूप में अंकन है। यह है कि उक्त भूमि में अराजी संख्या 143/3 पर आने जाने के लिये कोई रिकार्डेड रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है, प्रार्थी पहले अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 1612/01 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से उक्त के अडता हुआ पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 1613 अरांई दादिया अजमेर जाने वाली सडक से आता जाता रहा है उक्त रास्ता का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसको नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा इस वर्ष प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अरांई (अजमेर)

को परेशान व हैरान करना चाहने पर प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि की अप्रार्थी की भूमि से से जुताई व बुवाई जुलाई 2016 में करना चाहने पर अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बाधा कारित की। प्रार्थी के द्वारा बाधा कारित नहीं करने का अप्रार्थी को निवेदन करने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थी को जुताई व बुवाई नहीं करने दी गई जिसके कारण प्रार्थी की उक्त भूमि की जुताई व बुवाई नहीं हो पाई और वह भूमि पडत रह गई तथा प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त नहीं कर पाया और उक्त भूमि का उपयोग करने से वंचित रह गया। यह है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 का नक्शा संलग्न है जो कि रास्ता सुगम व निकटतम है उक्त रास्ता से ही प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि पर पूर्व में आता जाता रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने का और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, यह है कि वर्तमान युग मशीनरी का युग है जिससे फसल का समुचित उपयोग लेने हेतु तथा समय समय पर अच्छी उपज लेने हेतु एवं समय पर जोत व कटाई हेतु मशीनरी का जाना आवश्यक है। मशीनरी के आने जाने हेतु कम से कम 30 फीट रास्ते का होना आवश्यक है। इस कारण ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित खसरा संख्या 1613 से अप्रार्थी संख्या 1612/1 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से प्रार्थी के द्वारा संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता 30 फुट चौडाई का रास्ता दिया जाना आवश्यक है तथा उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना आवश्यक हैं। यह है कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी की कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 1612/01 में से रास्ता लेने का विधिक अधिकार है तथा उक्त रास्ता की भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाकर उक्त की तरमीम नक्शा ट्रेस में करवाने का विधिक अधिकारी है। यह है कि प्रार्थी की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि के पूर्व दिशा में नाला है जिसके खसरा संख्या 144 है उक्त नाला को ही ग्राम अरांई तहसील अरांई के राजस्व रिकार्ड व नक्शा में खसरा संख्या 1577/3326 के रूप में दर्शाया गया है उक्त नाला सुखा है तथा कभी कभार वर्षा के समय पर भरा रहता है उक्त नाले में से होकर प्रार्थी अपनी भूमि पर आता जाता रहता हैजिसमें प्रार्थी के किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहती है। प्रार्थी के द्वारा इस प्रार्थना पत्र में उक्त नाले तक ही रास्ता चाहा गया है। यह है कि प्रार्थी उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि अप्रार्थी संख्या 01 को देने को तत्पर एवं तैयार है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाकर उक्त की तरमीम नक्शा ट्रेस करने के अधिकारी है अतः उन्हें इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 143/3 पर ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित गै0मु0 सडक जिसका खसरा संख्या 1613 से अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/01 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से होकर नाले तक रास्ता जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है उक्त रास्ता को कायम किया जाकर उक्त 30 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उसकी तरमीम भी करने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से वकील करतार सिंह ने दिनांक 22.02.2017 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि 1612/01 नही है बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा ग्राम अरांई से दादिया जाने वाली सडक भी अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थी की पैरा संख्या 02 में उल्लेखित कृषि आराजी खसरा संख्या 143/3 व अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा संख्या 1612/1 के मध्य खसरा संख्या 144 गै.मु.नाला स्थित है। यह है कि प्रार्थी के पैरा संख्या 03 के कथन गलत व बेबुनियाद है प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 143/3 में से आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 1613 गै.मु.सडक जो ग्राम अरांई से दादिया जाती है से होता हुआ प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1612/01 में से होकर कभी भी आता जाता नहीं है। यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 के कथन गलत बेबुनियाद व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजी खसरा नम्बर 143/3 पशु चराई हेतु ही उपयोग मे लेता आ रहा है आज तक उक्त भूमि पर उसने कोई फसल काश्त नहीं की है। जब प्रार्थी का अपनी भूमि में आने जाने का ग्राम अरांई से दादिया जाने वाली सडके से होता हुआ ग्राम अरांई के कोडिया सागर तालाब में जाने वाले नाले के सहारे सहारे होकर है तो प्रार्थी की भूमि नम्बर 1612/01 के बीच में से होकर आने जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 के कथन बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की पैरा संख्या 02 में उल्लेखित भूमि 143/3 में आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में उल्लेखित रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता ग्राम अरांई से दादिया जाने वाली सडक से होता हुआ ग्राम कोडिया सागर में जाने वाले नाले के सहारे सहारे होता हुआ है। यह प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने का एकमात्र सुगम व निकटतम रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें अनुसार होना गलत व बेबुनियाद है। जब प्रार्थी की भूमि में आने जाने का वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है तो अप्रार्थी की कृषि आराजी खसरा संख्या 1612/1 में से होकर दिया जाना का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी की उल्लेखित भूमि 143/3 में आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में उल्लेखित रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता ग्राम अरांई से दादिया जाने वाली सडक से होता हुआ ग्राम कोडिया सागर में जाने वाले नाले के सहारे सहारे होता हुआ है , उक्त गै.मु.नाले में से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी की प्रार्थना बेबुनियाद है क्योंकि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 143/3 ग्राम व पटवार हल्का केबानिया तहसील अरांई जिला अजमेर के क्षेत्र में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1612/01 ग्राम व पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई में स्थित है। प्रार्थी की कृषि आराजी खसरा संख्या 143/03 के समीप खसरा नम्बर 144 गै.मू.नाला भी ग्राम पटवार हल्का केबानिया के क्षेत्र में स्थित है। उक्त नाले के दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1612/01 स्थित है तथा ग्राम अरांई दादिया जाने वाले सडक खसरा नम्बर 1613 है जो पटवार हल्का केबानिया व पटवार हल्का अरांई दोनो के क्षेत्र से होकर गुजरती है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजी खसरा संख्या 143/3 में उक्त गै.मु. सड़क खसरा संख्या 1613

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

से होता हुआ गै.मु.नाला खसरा संख्या 144 के सहारे सहारे अपनी कृषि आराजी में आता जाता रहा है। जब प्रार्थी के पास अपनी कृषि खसरा संख्या 143 में आने जाने का रास्ता पूर्व में ही मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थी उक्त कृषि आराजी के क्रय की दिनांक से ही करता आ रहा था। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 को हैरान व परेशान करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है जो कि विधिसम्मत नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी के कृषि आराजी खसरा संख्या 143/3 व अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा संख्या 1612/1 के मध्य खसरा संख्या 144 गै.मु. नाला स्थित हैजो ग्राम अरांई स्थित सिंचाई विभाग के तालाब कोडिया सागर का फीडर है। इस प्रकार गै.मु. नाले को अवरूद्ध कर प्रार्थी द्वारा चाहा गया नया रास्ता किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी के द्वारा संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाया गया नया रास्ता गै.मु. नाला खसरा संख्या 144 से होकर चाहा गया है जो कि नाला सिंचाई विभाग के कोडिया सागर तालाब की फीडर है जिसे की बन्द किया जाना विधिसम्मत नहीं है तथा सिंचाई विभाग को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955 को मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को तहसीलदार अरांई की रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार अरांई को पुनः प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देशित किया। पुनः तहसीलदार अरांई द्वारा दिनांक 06.11.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रिपोर्ट में तहसीलदार अरांई द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 143/3 में से निकटतम रास्ता 1612/1 में से संलग्न नजरी नक्शें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। 1612/1 से संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। दिनांक 20.05.2022 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को केवल रास्ता चाहिये जो कि पूर्व में चालू ही था ,रिकार्डेड नहीं था, और कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है, तहसीलदार अरांई की 2017 व 2019 में दो पाजीटिव रिपोर्ट आ चुकी है, श्रीमान जी से अनुतोष अपेक्षित व वाजिब है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 143/3 पर ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित गै0मु0 सडक जिसका खसरा संख्या 1613 से अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/01 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से होकर नाले तक रास्ता जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है उक्त रास्ता को कायम किया जाकर उक्त 30 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उसकी तरमीम भी करने के आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जहां पहले से ही मार्ग मौजूद हो वहां चाहिये था तथा प्रार्थी की जमीन के आगे नाला है जिसकी मौका रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई अंकन या उल्लेख नहीं किया गया है अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955 को मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस एवं तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी की ग्राम केबानिया स्थित कृषि आराजी 143/3 रकबा 08 बीघा पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई स्थित कृषि आराजी 1612/1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है तथा तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार रास्ता दिया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.का. अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम केबानिया स्थित आराजी खसरा संख्या 143/3 रकबा 08 बीघा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073) में से मौका रिपोर्ट क्रमांक 3002 दिनांक 25.09.2019 के अनुसार ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1 में से 20 फीट चौडे रास्ते के अनुरूप भूमि अधिग्रहित कर वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकर जरिये रजिस्टर्ड डी.डी. अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थी के द्वारा प्रदत्त किये जाने पर उक्त भूमि की रास्ते के रूप में तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

17/06/22

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)